न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट्र–ट्रैक) इटावा जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	दायरा तिथि	फैसल तारीख
43 / 2023	23.05.2023	19/7/23

नर्मदा बाई पुत्र शंकरलाल जाति मीना निवासी झाडोल तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झाडोल पटवार हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 776 रकबा 1.60है. कुल किता 1 कुल रकबा 1.60है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई हे।

उक्त भूमि वादी की कदीमी पैतृक भूमि है। वादी का नाम नर्मदा बाई है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम झाडोल पटवार हल्का गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 776 रकबा 1.60है.,कुल किता 1 कुल रकबा 1.60है. कृषि भूमि स्थित है मैं वादी का नाम नर्मदा बाई के स्थान पर नर्बदाबाई अंकित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से दुरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में, वादी का नाम नर्मदा बाई ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम नर्बदाबाई के स्थान पर नर्मदा बाई अंकित करवाने के विधिक अधिकारी है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति मे वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लियें धारा 80 दी. प्र. सं. के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 15.05.2023 वादी द्वारा प्रतिवादी से उपरवर्णित पुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो शासन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय सविनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में, विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें कि ग्राम झाडोल पटवार हल्का गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 776 रकबा 1.60है.,कुल किता 1 कुल रकबा 1.60है. भूमि मे वादी का नाम नर्बदा बाई के स्थान पर नर्मदा बाई अंकित कर दिया जावे तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। पत्रावली में भू0अ0निरीक्षक एवं पटवार हलका द्वारा अजमेंआम में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त तैयार किया गया मौका पर्चा प्रस्तुत कर किया है। प्राप्त मौका पर्चा में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात् में वादनी का नाम नर्बदा बाई हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात् आधार कार्ड, जनाधारकार्ड, बैक डायरी, पेनकार्ड इत्याद्वि में वादिनी का नाम नर्मदाबाई दर्ज है। अतः वादीनी का नाम विवादित आराजीयात् में नर्बदाबाई के स्थान पर नर्मदा बाई किया जाना उचित है। भू0अ0निरीक्षक एवं पटवार हलका द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा विस्तृत एवं पर्याप्त है इसलिए जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजीयात् में वादनी का नाम नर्बदा बाई के स्थान पर नर्मदा बाई किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रकार्ड एवं मौका पर्चा का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि वादीनी का नाम नर्बदाबाई के स्थान पर नर्मदा बाई किया जाना उचित है। अन्य रेकार्ड में भी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वादीनी का नाम नाम नर्मदाबाई अंकित है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम झाडोल पटवार हल्का गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 776 रकबा 1.60है.,कुल किता 1 कुल रकबा 1.60है. भूमि में वादी का नाम नर्बदा बाई के स्थान पर नर्मदा बाई अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रैक) इटावा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मज.
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

नर्मदा बाई पुत्र शंकरलाल जाति मीना निवासी झाडोल तह0 पीपल्दा जिला कोटा(राज.)

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेन्द्र मीना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू............. .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम झाडोल पटवार हलका गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 776 रकबा 1.60है.,कुल किता 1 कुल रकबा 1.60है. भूमि मे वादी का नाम नर्बदा बाई के स्थान पर नर्मदा बाई अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजीयात् पर रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 19/7/23 .... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहन्ताना वकील			मेहन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर

इटावा, जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा